

\* सीता गुरली नव कृषि काउण्डस \*

वा

स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम- \* सीता गुरली नव कृषि काउण्डस \*
2. प्रधान कार्यालय- इस संस्था का प्रधान कार्यालय-  
ग्राम-बछी, पो-बरसाही, प्रखंड मुहैया,  
जिला-मुजफ्फरगढ़ होगा।  
अपरमन्तानुसार कार्यालय स्थान परिवर्तन की  
सुझा 15 दिनों के अन्दर निम्नलिखित विभाग एवं अन्य  
विभाग को दे दी जाएगी।
3. कार्य क्षेत्र- इस संस्था का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।
4. उद्देश्य- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-
  1. समाज के शीश, महिला, पिछड़ों, अपसंभवों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, शैक्षणिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।
  2. अनाथ बच्चों, दुधों, विधवाओं, विधालीनों, क्षात-प्रतिक्षितों, महिला बच्चों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना। उनके लिए आवास स्थापना, भोजन, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना।
  3. समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे क्षात-विवाह, दहेज प्रथा, न्यायोदोषी, आदि की रोकथाम हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना। अशुद्ध विवाह, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना।
  4. आर्थिक आपदाओं जैसे क्षात, अनाथ, मरामारी, दुर्घात आदि में राहत कार्यक्रमों का संचालन करना। राहत कार्य में सहयोग करना।
  5. निरक्षरता उन्मूलन हेतु शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना। विभिन्न स्तरों की शिक्षा संचालन का संचालन करना। मेधावी नरीय छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करना।
  6. समाज के सभी वर्गों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। परिवार कल्याण शिविर, टीनाकरा शिविर एवं अन्य स्वास्थ्य शिविर कर आयोजन करना। आठवां रोग, मज़, तैलर,

सीता गुरली नव कृषि काउण्डस  
मुख्यालय  
ग्राम-बछी, पो-बरसाही, प्रखंड मुहैया,  
जिला-मुजफ्फरगढ़

मिशनर  
कृष्ण

टीचरों, कानावार, हेल्पाइंट्स, क्लर्क आदि से कर्षण हेतु आवश्यक जानकारी देना एवं गांवों लोगों को चिंतितता से आसक्त करना।

7. चिंतितता से विभिन्न पद्धतियों जैसे देशी चिंतितता, प्राकृतिक चिंतितता, योग शिक्षा हेतु शिक्षण-प्रक्रिया कार्यक्रमों का संवादन करना। चिंतितता से आसक्त करना।
8. महिलाओं एवं बच्चों के मौखिक विकास हेतु महिला सेंटर, स्वीट स्टोर, क्लब, पालनागृह, पौष्टिक आहार केन्द्र, महिला सञ्चारकर्म कार्यक्रमों का संवादन करना।
9. वर्गचरण एवं व्यक्ति स्तर पर हेतु लोगों को आसक्त करना, पृष्ठारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संवादन करना। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संवादन करना। लोगों को स्वच्छ पेयजल, आवास आदि आसक्त करना।
10. लोगों के आर्थिक विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, डेयरी उद्योग, पशुपालन, पक्ष एवं खाद्य प्रसंस्करण, सिगरेट, कटाई, दुर्गाई, मधुमक्खी पैकिंग, मत्स्यपालन, मछली उद्योग, कम्प्यूटर, टेलीफोनियस एवं अन्य तकनीकी, गैर तकनीकी प्रक्रिया की व्यवस्था करना। स्वावलंबी बनने में सहायता करना।
11. कृषि एवं वातावरण के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, सिंचाई के उपयुक्त साधन, कृषिजल, कर्मचारी, नकल, तात्कालिक, पोखरा आदि आसक्त करना। आर्थिकीय बीजों, सुनिश्चित बीजों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन आसक्त करना। क्षेत्र स्तर पर उन्नत बनने हेतु कार्यक्रमों का संवादन करना।
12. पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संवादन करना। पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन, वितरण एवं गुणवत्ता करना। नाटक, नृत्य, संगीत, वाद्य का प्रदर्शन देना।
13. देश की एकता, अखण्डता, आपसी सहभावना हेतु कार्यक्रमों का संवादन करना। पंचायती राज, पंचसत्ता अधिकार, मानवाधिकार के क्षेत्र में जानकारी देना एवं आसक्त करना।

निदेशिका

5. निम्नलिखित व्यक्ति के नाम, पिता/पति का नाम, पता, जीविका के साधन, योग्यता एवं पद नीचे दिया गया है, वर्तमान के कार्यकारी(ए) समिति के सदस्य हैं, जिन पर संपत्ति के निगमपुस्तक में या बाहर रखा गया है।

क्रमिक नाम पिता/पति का नाम	पता	जीविका के साधन	योग्यता	पद
1) श्रीमती आशुता रीते पति श्री सुरेन्द्र रीते	मुठ-बगल्ल पोंड पोंडिका मधुबनी	विद्यार्थी सेवा	एम्प्लो	अध्यक्ष
2) श्री उमेश कुमार पिता-श्री सुनीलपुर बागल	ग्राम बछी पोंड धरताही जिला मधुबनी	हथि	बीएस	तयार
3) कुमारी भागीरथी पिता-श्री राम राम बागल	ग्राम-पोंड फिदापुर जिला मधुबनी	हथि	बीएससी	होमसायन
4) श्री रविन्द्र कुमार पिता-श्री राम राम	मुठ धाना पोंड पोंडिका मधुबनी	विद्यार्थी सेवा	बीएस	सदस्य
5) श्रीमती रमणी देवी पति दिनेश	ग्राम बछी पोंडधरताही जिला मधुबनी	हथिनी	दसवीं	सदस्य
6) श्रीमती वन्दना देवी पति-श्री राम राम	वार्डन-15 सुरतल	हथिनी	दसवीं	सदस्य
7) श्री राम राम पिता-श्री राम राम	ग्राम बछी पोंडधरताही जिला मधुबनी	व्यवसाय	दसवीं	सदस्य

सुरतल  
सदस्य

मिशनरिज  
सदस्य

सुरतल  
सदस्य

सदस्य



6. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, बीविडा के तालान, योग्यता एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है जिनके नाम के अनुसार पत्र के अनुसार संबंधित अधिनियम 21, 1960 के अन्तर्गत निर्वाचन के आकांक्षी हैं :-

कुमांक नाम पिता/पति का नाम पता	बीविडा के तालान	योग्यता	हस्ताक्षर
1) श्रीमती शारदा सिंह पति श्री सुरेन्द्र सिंह	मुण्डवाघा चौक पो 0 जिला मधुबनी	विधवा सेवा	समस्त
2) श्री उमा कुमार पिता श्रीमुरारिधर यादव	ग्राम जहरी पो 0 परताही जिला मधुबनी	हृदि	वीर
3) कुमारी मातविका पिता-हजिरामदास यादव	ग्राम पो 0 फिर्कापुर जिला मधुबनी	हृदि	वीर 0 सी 0 Kumari Mahika
4) श्री रविन्द्र कुमार पिता ज्योतिराम यादव	ग्राम धाना चौक पो 0 जिला मधुबनी	विधवा सेवा	वीर 0 Ravindra Kumar
5) श्रीमती रजकरी देवी पति विष्णु यादव	ग्राम जहरी पो 0 परताही जिला मधुबनी	हृदि	दात्री रजकरी देवी
6) श्रीमती चन्द्रिका देवी पति श्री कंठार यादव	वार्ड नं 0 15 सुरतगंज पो 0 जिला मधुबनी	हृदि	दात्री Chandrika Devi
7) श्री रोगान रण पिता श्री सिधाराम सुमन	ग्राम जहरी पो 0 परताही जिला मधुबनी	विधवा सेवा	दात्री Roshan Raman

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने मेरे सामने हस्ताक्षर किये हैं जिन्हें मैं गहजानता हूँ।

निष्ठापूर्वक  
[Signature]

22/3/22

हस्ताक्षर-

[Signature]  
22/3/22.

नाम -

Dr. P. K. DANKAR  
Principal

मोहर -

Kanungo Medical College Hospital  
HOSHANGPUR (P.O.)



- ग. कार्यकारिणी समिति का कार्यकाय पंजी-वर्षी का होना । नियुक्त सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं ।
- घ. यदि किसी कार्यकाय समिति में कोई पद रिक्त होना तो उस पद पर समिति किसी सदस्य को मनोनित कर सकती है, लेकिन वार्षिक बैठक में उसे विधिगत पुनर्वाच करना होगा । चुने हुए पदाधिकारी एवं सदस्य अपने पद के अनुसार कार्य करेंगे ।

6. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :-

- क. संस्था के का एवं अन्य समितियों का उत्तरदायी होना ।
- ख. संस्था के सभी कार्यों का सम्यक् विधिगत करना एवं प्रस्ताव पारित करना ।
- ग. शाखा, अशाखा का निर्माण करना ।
- घ. उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

7. आम हस्ता के अधिकार एवं कार्य :-

- क. कार्यकारिणी समिति का चुनाव करना ।
- ख. अध्यक्ष की नियुक्ति करना ।
- ग. आय-व्यय खाता पर विचार करना एवं पारित करना ।
- घ. उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

8. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कार्य :-

अध्यक्ष :-

- क. संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।
- ख. कार्यवाही पंजी पर अन्तः हस्ताक्षर करना ।
- ग. किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णय का उपयोग करना ।
- घ. उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

सचिव :-

- क. प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।
- ख. संस्था की ओर से बधाईवाद करना ।
- ग. पंजीयों एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।

कार्यवाही पंजी

सचिव

सिद्धांत मिश्रा



11. प्राथमिक बैठक :-

एक विज्ञापित सदस्यों के लिखित मांग पर सचिव को एक मास के अन्दर बैठक का आयोजन करना होगा। यदि सचिव उक्त आधि के अन्दर बैठक का आयोजन नहीं करते हैं तो उपेक्षित को अधिकार होगा कि आयोजन में लिखित धिका के लिए बैठक का आयोजन कर सकते हैं।

12. कोरम नियुक्ति :-

प्रत्येक बैठक का कोरम उसके कुल सदस्यों का साधारण बहुमत होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी और पुनः सम्पन्न बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

13. आय का स्रोत :-

- क. प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क।
- ख. सरकारी, गैर सरकारी दान, जुदान, सहायता।
- ग. संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से।

14. कोष का संचालन :-

संस्था के सभी कोष को लिखी बिल या डालर में संस्था के नाम पर जमा किया जायेगा, जिसकी निष्ठाही अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी।

15. निधि का अधिपत :-

- क. संस्था के अधिपत का सेवा नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आम सभा के द्वारा नियुक्त अधिपत से प्रतिवर्ष अधिपत कराया जायेगा।
- ख. निर्बंधन महानिरीक्षक अपने विवेक से यह भी चाहें संस्था का अधिपत किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते हैं, जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

16. परिषद् का निरीक्षण :-

संस्था के सभी परिषद् निर्बंधन कार्यालय में जमा रहने की जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से परीक्षा का निरीक्षण कर सकते हैं।

निष्ठाही

151

17. नियमावली में संशोधन :-

नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा ।

18. काबुली कार्रवाई :-


संस्था पर या संस्था के द्वारा काबुली कार्रवाई सचिव के बदनाम से होगी तथा अध्यक्षता की नियुक्ति समिति की स्लाट से की जाएगी ।

19. विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था :-

- क. संस्था का विघटन संस्था अधिनियम-1960 के धारा-13 के अंतर्गत में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा ।
- ख. आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जाएगा ।
- ग. विघटन के उपरान्त जो कन या अवग सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या नर सदस्यों में नहीं बाँटी जाएगी, बल्कि आम सभा की सम्पत्ति से समान उद्देश्यवाची दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जाएगी ।

\*\*\*\*\*


प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सही प्रती है ।

  
अध्यक्ष

Kumari Malvika  
संस्थाध्यक्ष


  
सचिव

प्रमाणित किया जाता है कि यह सही प्रती की ह-व-ह प्रती है ।

  
अध्यक्ष

Kumari Malvika  
संस्थाध्यक्ष

  
सचिव

मिशनरिय  




सचिव  
17/12/2024